to all State Governments that village communities and voluntary agencies should be involved in regeneration of degraded forest lands on sharing of usufruct and final harvest. Based on these guidelines the states of Bihar, Gujarat, Haryana and Rajasthan have formulated specific schemes for active involvement of people in afforestation programme. Other State Governments have been urged to take similar action.

agencies for regeneration of degrad-

Restaurants in West Zone, Delhi

516. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the West Zone team of the Department of Prevention of Food Adulteration, Delhi Administration, Delhi is not regulating the restaurants; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) As per the information furnished by the Delhi Administration, 16 samples were drawn from the restaurants from July to October, 1991 by the West Zone team of the Department of Prevention of Food Adulteration, Delhi.

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर

517. **मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर की इमारत के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त संस्थान के लिए "हर्ब गार्डन" बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या उक्त संस्थान ने अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संस्थान को प्रबन्ध परिषद के गठन के संबंध में ब्यौरा क्या है और अब तक उसकी कितनी बैठकें की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा बंगलौर के पास भवन के निर्माण तथा जड़ी-बूटी उद्यान लगाने के लिए लगभग 55 एकड़ भूमि आवंटित की गई है । संस्था के शासी निकाय द्वारा नक्शे की जांच करने तथा भूमि का प्रयोग करने के लिए स्पष्ट योजना का सुझाव देने के लिए एक उप-समिति गठित की गई । समिति ने स्पष्ट योजना स्थान की आवश्यकताओं की जांच की तथा थोड़े संशोधन तथा परिवर्धन के साथ नक्शा तैयार किया । भवन का रूपांकन वास्तुविद द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) बंगलौर विश्वविद्यालय से संबंध होने के लिए संस्थान द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है और किसी आगे की तारीख से प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुसमर्थित होने की शर्त पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने आवेदन-पत्र को स्वीकार कर लिया है ।

(घ) शासी निकाय गठन विवरण में बताया गया है । 20 दिसम्बर, 1985 तथा 18 सितम्बर, 1989 को शासी निकाय की बैठक हुई ।

विवरण

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की शासी निकाय के सदस्य

1.	केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य मंत्री, कर्नाटक सरकार	उपाध्यक्ष
3.	सचिव/अतिरिक्त सचिव, कर्नाटक सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा उसका नामित व्यक्ति	सदस्य
4.	सचिव, कर्नाटक सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	वरिष्ठ अधिकारी जो भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपथी पद्धति के प्रभारी निदेशक से कम दर्जे का न हो । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
7.	सचिव, कर्नाटक सरकार वित्त विभाग	सदस्य
8.	उपकुलपति, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	सदस्य
9.	तकनीकी सलाहकार (यूनानी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
10.	प्रो० एस० वसीमुद्दीन, प्राधानाचार्य, अजमलखाँ तिब्बिया कालेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202002	सदस्य
11.	अध्यक्ष, यूनानी समिति केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली ।	सदस्य
12.	निदेशक, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य
13.	हकीम सैफुद्दीन अहमद "पद्मश्री" हक, महबूब-उल-हक रोड, बेनी सराँय, मेरठ शहर–250002	सदस्य

14. हकीम महमूद अजमेरी गांगड़ी,
मोहल्ला सराय,
पोस्ट गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — सदस्य

15. डा० सैयद कासिम, — सदस्य
अवकाश प्राप्त यूनानी चिकित्सक,
सं० 2207, चालीसवां क्रास रोड,
चौथा "टी" ब्लाक, जयनगर, बंगलौर–560011

16. निदेशक, — सदस्य
भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी पद्धति,
कर्नाटक सरकार, बंगलौर

17. निदेशक, — सदस्य सचिव
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर

इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में रिपोर्ट

518. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोपैथी इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में एक जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने हेतु गठित विशेष समिति (**डा० एस डी० शर्मा जांच समिति**) की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) डा शर्मा की अध्यक्षता में, इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में विचारार्थ विषयों के अनुसरण में गठित विशेष समिति की रिपोर्ट 4-11-1991 को प्राप्त हुई थी । तथापि, चूंकि मामला निर्णायाधीन है, अतः इस रिपोर्ट पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश के भूकंप पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता

519. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी क्षेत्र में हाल ही में आए भूकंप में भूकंप पीड़ितों और घायलों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भेजी गई चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी के० तारादेवी सिद्धार्थ) : चिकित्सीय स्वास्थ्य उपकरणों के जो 10 पैकेट (जैसा कि नीचे दिए गए विवरण–I में बताया गया है) विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपहार मदों के रूप में प्राप्त हुए थे, वे उत्तर प्रदेश सरकार को भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए गए थे । इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों के 2 पैकेट (जैसा कि नीचे दिए गए विवरण–II में बताया गया है) दिए गए थे, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को भूकंप से ग्रस्त हुए व्यक्तियों में वितरित करने के लिए 67.00 लाख रुपए तक के मूल्य की राहत सामग्री भी भेजी गई है ।